सेवा में,

अपर समाहर्त्ता
–सह–
अनुमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग।

विषयः– **मौजा–कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0–157, भवन पट्टा, होल्डिंग सं0–302, प्लॉट सं0– 872/1235, 873/1336 एवं 893/1337 रकवा क्रमशः– 0.25 एकड़, 0.15 एकड़ एवं 0.10 एकड़ कुल रकवा–0.50 एकड़ भूमि का जाँच प्रतिवेदन।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मौजा–कैन्टोनमेन्ट, थाना नं0–157, भवन पट्टा, होल्डिंग सं0–302, प्लॉट सं0– 872/1235, 873/1336 एवं 893/1337 रकवा क्रमशः– 0.25 एकड़, 0.15 एकड़ एवं 0.10 एकड़ कुल रकवा–0.50 एकड़ भूमि खास महाल लीज की भूमि है। जो लीजधारी मो0 एहसान पिता स्व0 मो0 सामुएल के नाम से दिनांक–31.03.2008 तक नवीकृत है। लीज भूमि पर लीजधारी या उनके वंशज निवास नहीं करते है।

स्थल जाँच के क्रम में पूछ–ताछ से बताया गया कि उक्त भूखण्ड के दक्षिण भाग पर श्री योगेन्द्र साव पूर्व विधायक, बड़कागाँव तथा सुश्री अम्बा प्रसाद, विधायक, बड़कागाँव के द्वारा वर्त्तमान में चदरा से बाउन्ड्री निर्माण कार्य कर दिया गया है। जो लीज शर्त का उल्लंघन है।

उक्त के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

9/11/23